NESTLÉ INDIA LIMITED

(CIN: L15202DL1959PLC003786)

Regd. Office: 100 / 101, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001

Email: investor@in.nestle.com; Website: www.nestle.in Ph: 011-23418891. Fax: 011-23415130

NOTICE TO THE MEMBERS OF 62™ ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s),

- 1. Notice is hereby given that the Sixty Second Annual General Meeting of the Company ("62[™] AGM") will be convened on Friday, 7[™] May 2021 at 10:00 a.m. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("0AVM") facility as per the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8[™] April 2020, 13[™] April 2020, 5[™] May 2020 and 13[™] January 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular Nos. SEBVHO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBVHO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12[™] May 2020 and 15[™] January 2021 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue. The deemed venue for the 62[™] AGM shall be the Registered Office of the Company.
- 2. The Notice of the 62rd AGM and the Annual Report for the year 2020 including the financial statements for the year ended 31st December 2020 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. Members can join and participate in the 62rd AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 62rd AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 62rd AGM are provided in the Notice of the 62rd AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 62rd AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.nestle.in and the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com
- 3. Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company can obtain Notice of the 62[™] AGM, Annual Report and/or login details for joining the 62[™] AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending following documents by email to investor@in.nestle.com:
 - $a. \ \ a \, signed \, request \, letter \, mentioning \, your \, name, \, folio \, number \, and \, complete \, address;$
 - b. self attested scanned copy of the PAN Card; and
 - self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Members as registered with the Company.
- 4. Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically, by sending following details/document in addition to the documents mentioned in para 3 above by email to investor@in.nestle.com:
 - a. Name and Branch of Bank in which dividend is to be received and Bank Account type;
 - b. Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions;
 - c. 11 digitIFSC Code; and

Date: 9th April 2021

Place: Gurugram

- Self attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares
 are held jointly.
- Members holding shares in demat form are requested to update their email address/ Electronic Bank Mandate with their Depository.
- 6. The Annual Book Closure from 1st May 2021 to 7st May 2021 (both days inclusive) shall determine entitlement of Members to the final dividend for the financial year ended 31st December 2020, if approved at the 62st AGM and interim dividend for 2021, if any, declared by the Board of Directors at their meeting scheduled on 20st April 2021.

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the shareholders w.e.f. 1st April 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act,1961 ("the IT Act"). For the prescribed rates for various categories, conditions for Nil/preferential TDS and details / documents required thereof, Members are requested to refer to the IT Act and Notice of the 62[™] AGM. In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository or in case shares are held in physical form, with the Company by sending email to investor@in.nestle.com

In the event the Company is unable to pay the dividend to any member by electronic mode, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Bankers' cheque/ demand draft to such Member, as soon as possible.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

Nestlé India Limited B. Murli General Counsel & Company Secretary

Financial Express-10-04-2021

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

CIN: L15202DL1959PLC003786

पंजीकृत कार्यालय: 100 / 101, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001

ई-मेल: investor@in.nestle.com, वेबसाइट: www.nestle.in फोन: 011-23418891. फैक्स: 011-23415130

62 व व विषय में सदस्यों के लिए सूचना

प्रिय सदस्यगण,

- 1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 62[®] वार्षिक साधारण समा ("62[®] एजीएम") शुक्रवार, 07 मई 2021 को सुबह 10:00 बजे वीडियो कान्फ्रैंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुसार और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 और 13 जनवरी 2021 ("एमसीए सर्क्युलर") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्क्युलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 क्रमशः दिनांक 12 मई 2020 और 15 जनवरी 2021 ("सेबी सर्क्युलर"), जो एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आंमत्रित की गई है। 62[®] एजीएम का स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को माना जाएगा।
- 2. एमसीए सर्क्युलर अथवा सेबी सर्क्युलर के अनुसार, 62[®] एजीएम की सूचना, 31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों सिहत 2020 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल के द्वारा भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी के पास या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस ("डिपॉजिटरी") के पास पंजीकृत है। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 62[®] एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। 62[®] एजीएम में शामिल होने के निर्देश और 62[®] एजीएम के दौरान दूरस्थ ई—वोटिंग या ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के निर्देश 62[®] एजीएम की सूचना में दी गई है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के उद्देश्य से की जायेगी। 62[®] एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.nestle.in तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।
- 3. भौतिक पद्धित में शेयर धारित करने वाले सदस्य जिन्होंने कम्पनी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये है, वे ईमेल द्वारा investor@in.nestle.com पर निम्न दस्तावेजों की प्रति भेज कर 62 एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एंव/अथवा 62 एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शामिल होने के लिये एवं ई—वोटिंग करने के लिए Log-in विवरणों को प्राप्त कर सकते है:
 - (क) अपने नाम, फोलिओ नम्बर तथा सम्पूर्ण पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षर अनुरोध पत्र;
 - (ख) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति; तथा
 - (ग) किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसैन्स, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की कम्पनी में यथा पंजीकृत पत्ते के समर्थन में उसकी स्व—सत्यापित स्कैन की गई प्रति।
- 4. भौतिक पद्धित में शेयर धारित करने वाले सदस्य जिन्होंने इलैक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा अथवा किसी अन्य माध्यमों ("इलैक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट") द्वारा अपने बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने मैंडेट अपडेट नहीं कराये हों वे investor@in.nestle.com पर ईमेल द्वारा उपर पैरा 3 में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्न विवरणों/दस्तावेजों को भेज कर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से लाभांश प्राप्त कर सकते है:
 - (क) बैंक का नाम एवं शाखा जिसमें लाभांश प्राप्त की जायेगी तथा बैंक खाता का प्रकार;
 - (ख) कोर बैंकिंग सॉल्यूशन्स लागू करने के बाद आपके बैंक द्वारा आवंटित बैंक खाता संख्या;
 - (ग) 11 डिजिट का आईएफएससी कोड; तथा
 - (घ) सदस्य अथवा यदि शेयर संयुक्त रूप से धारित हो तो प्रथम सदस्य के नाम में निरस्त चैक की स्व—सत्यापित स्कैन की गई प्रति।
- 5. **डीमैट प्रारूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों** से अनुरोध है कि डिपॉजिटरी के पास अपना ई-मेल पता / इलैक्टॉनिक बैंक मैंडेट रजिस्टर कराएं।
- 6. 1 मई 2021 से 7 मई 2021, दोनों दिवस सिहत, वार्षिक क्लोजिंग, 2020 अंतिम लाभांश, यदि 62[®] एजीएम में स्वीकृत होता है और 2021 के लिए अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, 20 अप्रैल 2021 को निर्धारित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा घोषित होगा के लिए शेयर धारको की अधिकारिता निर्धारित करेगी।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुपालन में 1 अप्रैल 2020 से शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है तथा कम्पनी को आयकर अधिनियम, 1961 ("आई टी अधिनियम") में निर्दिष्ट दरों पर सदस्यों को प्रदत्त लाभांश से स्रोत पर कटौती ("टीडीएस") करनी होगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों, निल/प्रिफ्रेंशियल टीडीएस की शर्त तथा उसके विवरणो/दस्तावेजों के लिये सदस्यों से आग्रह है कि आई टी अधिनियम तथा इस संदर्भ में $62^{\frac{11}{2}}$ एजीएम की सूचना देखें। सामान्य रूप में टीडीएस के प्रावधानों के अनुपालन को सुगम बनाने के लिये सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने आवासीय स्थिति, पैन, आई टी अधिनियम के अनुसार श्रेणी का अपने डिपॉजिटरी में अथवा भौतिक पद्वित्त में शेयरों को धारण करने के मामले में investor@in.nestle.com पर ई-मेल भेजकर कम्पनी के पास पूरा कराएं।

इलैक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट का पंजीकरण नहीं कराने के कारण इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किसी सदस्य को लाभांश का भुगतान करने में यदि कम्पनी असफल होती है तो कम्पनी यथा शीघ्र ऐसे सदस्यों को लाभांश वारंट / बैंकर्स चैक / डिमांड ब्राफ्ट भेजेगी।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की सूचना तथा हितों के लिए तथा एमसीए सर्क्युलर तथा सेबी सर्क्युलर के अनुपालन में जारी की जा रही है।

> नेस्ले इंडिया लिमिटेड बी. मरली

जनरल काउंसल एंव कम्पनी सचिव

तिथि: 09 अप्रैल 2021 स्थान: गुरूग्राम